**संख्या-5/2016/172/पचासी-15-16(परती)/2009**

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 मार्च,2016

विषयःउ0प्र0 भूमि सुधार निगम में कार्यरत नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1ए/437/94-(वोल्यू-।।)/265, दिनांक 17.06.2015 एवं पत्र संख्या-1ए/437/94-(वोल्यू-।।)/225/1158, दिनांक 15.12.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में कार्यरत नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था का लाभ अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव परं मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के नियमित कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव पर निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(क) ऐसे नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिक, जिन्हे 14 वर्ष की सेवा पर 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धियां अनुमन्य करा दी गयी है, और उनकी सेवायें 19 वर्ष से अधिक हो गयी है तथा वह उसी पद पर बने हुए है, उन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन मिला हुआ मानते हुए द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 के विभिन्न उपप्रस्तरों तथा प्रस्तर-2, शासनदेश दिनांक 03 मार्च, 2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 16 मार्च ,2015 के अनुसार देय होगें।

(ख) ऐसे नियमित एवं पूर्ण कालिक कार्मिक, जिन्हे 07 वर्ष की सेवा पर 02 अतिरिक्त वेतनवृद्धियां अनुमन्य करा दी गयी है और उनकी सेवाये 19 वर्ष से अधिक हो गयी है तथा वह उसी पद पर बने हुए है, उन्हें प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 के विभिन्न उपप्रस्तरों तथा प्रस्तर-2, शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2015, दिनांक 26 अगस्त 2015 एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2015 के अनुसार देय होगें।

(ग) ऐसे नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिक, जिन्हे 02 अतिरिक्ति वेतनवृद्धियों का लाभ अनुमन्य किया गया है लेकिन उनकी सेवायें 19 वर्ष से कम है और दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व एक पदोन्नति प्राप्त कर चुके है, उन्हे वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 के विभिन्न उपप्रस्तरों तथा प्रस्तर-2, शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2015 के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगें कि 07 वर्ष से अधिक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की सेवा पर दी गयी 02 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों मे से 01 वेतनवृद्धि का समायोजन वेतन निर्धारण में कर लिया जायेगा।

(घ) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदोन्नति में केवल पदनाम परिवर्तित हुआ है परन्तु वेतनमान अथवा ग्रेड वेतन में किसी प्रकार का परिवर्तन/लाभ प्राप्त नही हुआ है अर्थात समान ग्रेड वेतन में पदोन्नति हुई है। ऐसे कार्मिकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 के विभिन्न उपप्रस्तरों तथा प्रस्तर-2, शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2015, दिनांक 26 अगस्त 2015 एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2015 के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगें।

3. उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2015 में निहित शर्त के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था किये जाने से आने वाले व्यय भार को उ0प्र0 भूमि सुधार निगम स्वयं अपने श्रोतों से वहन करेगें इस हेतु शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता नही दी जायेगी।

4. यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-177/दस-2016, दिनांक 17.02.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या-816/पचासी-15-14(परती)/2009-तद्दिनांक-</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, शासन।
3. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0भूमि सुधार निगम,विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
8. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।